न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 54 / 2024

अनवान : –

1. जगदीश प्रसाद पुत्र जयलाल निवासी गांव ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र जयलाल निवासी गांव ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर,
3. विजयसिंह पुत्र जयलाल निवासी गांव ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर,
4. प्रदीप पुत्र जयलाल निवासी गांव ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर,
5. हंसराज पुत्र सेवाराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. शिशपाल पुत्र सेवाराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
7. बेगराज पुत्र सेवाराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
8. हाकमराम पुत्र सेवाराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
9. नत्थुराम पुत्र भीराजराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
10. भागीरथ पुत्र भीराजराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।।

– वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 24/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की ग्राम ढण्डेला बारानी पटवार हल्का ढण्डेला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देईदास तहसील नोहर के खसरा नम्बर 441 में 124 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 446 में 45 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि थी। जिसका बंटवारा होने पर सेवाराम जो कि प्रार्थीगण हसंराज, शिशपाल, बेगराज व हाकमाराम को खसरा नम्बर 441 में उनका हिस्सा 27 बीघा 5 बिस्वा बंटवारे में आयी जो वर्तमान में उनके नाम से जमाबंदी में दर्ज है तथा उक्त 27 बीघा 5 बिस्वा ही उनके कब्जा एवं आधिपत्य में है परन्तु उक्त कृषि भूमि का जो बंटवारा के बाद नया खसरा नम्बर 441/3 बनाया गया, परन्तु इसका जो नक्शा बनाया गया उक्त नक्शा त्रुटि वश बिना किसी पैमाना के नया खसरे का नक्शा बनाया है जो कि 35 बीघा से भी अधिक है जिसमें पूर्व की तरफ की कृषि भूमि जो कि 1 बीघा चौड़ाई व 8 बीघा से भी अधिक लम्बाई की कृषि भूमि शामिल करने से अन्य खसरे भी प्रभावित हुए है और खसरा नम्बर 441/5 की कृषि भूमि का नक्शा पूर्व की तरफ आये दुसरे खसरा नम्बर 441/6 की कृषि भूमि [illegible] दर्ज कर दिया है जिससे खसरा नम्बर 441/6 की कृषि भूमि का नक्शा [illegible] की चौड़ाई में पूर्व में स्थित खसरा नम्बर 446/1 जो कि प्रार्थीगण हसंराज, शिशपाल, बेगराज व हाकमराम की कृषि भूमि में स्थानांतरित हो गई है जिससे प्रार्थीगण हंसराज वगैरा की कृषि भूमि आगे दुसरे खसरा में व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:58:22 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नहर के अवाप्त रकबा में स्थानांतरित हो गई हैं जिससे पार्थीगण को अपूरणीय क्षति होती है। जिसे नक्शे की त्रुटि दूर की जावे। इसी अनुक्रम में प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 441/3 की खसरा नम्बर 441/11 में नत्थुराम की कृषि भूमि में स्थानांतरित हो जाती है जिससे नत्थुराम व भागीरथ को नुकसान होता है और नक्शे में त्रुटि की वजह से उनकी कृषि भूमि आगे पूर्व की तरफ खसरा नम्बर 446/1 में स्थानांतरित हो जाती है जिससे इसमें आगे की कृषि भूमि जो प्रार्थीगण की नहीं है उक्त कृषि भूमि में स्थानांतरित होने से सभी खसरो के नक्शे त्रुटिपूर्ण व बिना किसी माप (स्केल) के दर्ज किये है जिनको सही पैमाना के अनुसार नक्शे की त्रुटि दूर की जानी आवश्यक है जिससे की प्रार्थीगण को किसी प्रकार की पैरेशानी व क्षति कारित न हो।

बंटवारा के अनुसार खसरा नम्बर 441 का 124 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 446 की 45 बीघा का विवरण खाता धारक का नाम निम्न प्रकार है:– बेगराज, शिशपाल, हसंराज, हाकमाराम पिसरान सेवाराम का खाता सं 290/254 के खसरा नम्बर 441/3 की 6.9050 हेक्टयर, 446/1 की 5.5010 हेक्टयर। जगदीश प्रसाद पुत्र जयलाल का खाता संख्या 60 नया, पुराना 55 के खसरा नम्बर 441/16 की 0.2760 हेक्टयर, 441/6 की 2.3720 हेक्टयर, 446/6 की 1.1500 हेक्टयर कुल 3.7980 हेक्टयर। महेन्द्रसिंह पुत्र जयलाल का खाता संख्या 175 नया, पुराना 55 के खसरा नम्बर 441/10 की 0.7270 हेक्टयर, 441/8 की 2.0240 हेक्टयर, 446/5 की 0. 2530 हेक्टयर कुल 3.0040 हेक्टयर। विजयसिंह पुत्र जयलाल का खाता संख्या 240 नया, पुराना 55 के खसरा नम्बर 441/1 की 2.0240 हेक्टयर, 446/2 की 1.2650 कुल 3.2890 हेक्टयर। प्रदीप पुत्र जयलाल का खाता संख्या 113 नया, पुराना 55 के खसरा नम्बर 441/9 की 2.0240 हेक्टयर, 446/7 की 1.0120 हेक्टयर कुल 3.0360 हेक्टयर। नत्थूराम पुत्र भीराजराम का खाता संख्या 107 नया पुराना 94 की खसरा नम्बर 328 की 4.3880 हेक्टयर, 441/11 की 3. 1610 हेक्टयर, 441/12 की 1.4290 हेक्टयर, 441/13 की 1.2650 हेक्टयर, 441/14 की 0. 2530 हेक्टयर, 441/17 की 1.7710 हेक्टयर, 441/18 की 0.2571 हेक्टयर कुल 12.5241 हेक्टयर। भागीरथ पुत्र भीराजराम का खाता संख्या 140 नया, पुराना 94 के खसरा नम्बर 165 की 3.0220 हेक्टयर, 441/15 की 1.5180 हेक्टयर, 441/2 की 3.2890 हेक्टयर, 441/4 की 0. 5180 हेक्टयर, 441/5 की 0.8799 हेक्टयर, 441/7 की 0.8220 हेक्टयर, 446/3 की 0.5690 हेक्टयर, 446/4 की 1.6440 हेक्टयर कुल 12.2619 हेक्टयर। इस प्रकार उपरोक्तानुसार दुरूस्त कर सभी खसरो की भौतिक स्थिति के अनुसार पैमाना के अनुसार नक्शे निम्न प्रकार से सही किये जाकर उनकी त्रुटियां दूर कर सही नक्शे तैयार करने के आदेश फरमावे। प्रार्थीगण हसंराज, शिशपाल, बेगराज व हाकमाराम को खसरा नम्बर 441 में उनका हिस्सा 27 बीघा 5 बिस्वा बंटवारे में आयी जो वर्तमान में उनके नाम से जमाबंदी में दर्ज है तथा उक्त 27 बीघा 5 बिस्वा ही उनके कब्जा एवं आधि[illegible]भूमि का जो बंटवारा के बाद नया खसरा नम्बर 441/3 बनाया ग[illegible]या उक्त नक्शा त्रुटि वश बिना किसी पैमाना के नया खस[illegible]जो कि 35 बीघा से भी अधिक है जिसमें पूर्व की तरफ की कृषि भूमि जो कि 1 बीघा चौड़ाई व 8 बीघा से भी अधिक लम्बाई की कृषि भूमि शामिल करने से अन्य खसरे भी प्रभावित हुए है और खसरा नम्बर 7441/5 की कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:58:22 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का नक्शा पूर्व की तरफ आये दुसरे खसरा नम्बर 441/6 की कृषि भूमि में गलत दर्ज कर दिया है जिससे खसरा नम्बर 441/6 की कृषि भूमि का नक्शा आंशिक रूप से 1 बीघा की चौड़ाई में पूर्व में स्थित खसरा नम्बर 446/1 जो कि प्रार्थीगण हसंराज, शिशपाल, बेगराज व हाकमराम की कृषि भूमि में स्थानांतरित हो गई है जिससे प्रार्थीगण हंसराज वगैरा की कृषि भूमि आगे दुसरे खसरा में व नहर के अवाप्त रकबा में स्थानांतरित हो गई है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होती है जिसे नक्शे की त्रुटि दूर की जावें। खसरा नम्बर 441/6 का नक्शा त्रुटि दूर कर पैमाना के अनुसार सही दर्ज किया जावे, जिसका नक्शा 9 बीघा की जगह 4 बीघा के आधार पर बना दिया है जो वास्तविक भौतिक नक्शा नहीं है जिसे सही करना आवश्यक है। खसरा नम्बर 441/10 का नक्शा त्रुटि पूर्ण है उसका वास्तविक भौतिक स्थिति 3 बीघा है जबकि इसका नक्शा में जगह 8 बीघा के बराबर दर्ज कर रखी है जो स्केल के मुताबिक नहीं है इसको दुरूस्त कर स्केल के मुताबिक दर्ज किया जावे खसरा नम्बर 441/3 का नक्शा दुरूस्त करने के बाद उसके चिपते ही खसरा नं. 441/11 (नत्थुराम) को पश्चिम की तरफ जो कृषि भूमि 441/3 नक्शे में दर्ज कर रखी है उक्त कृषि भूमि 441/11 के नक्शे में दर्ज की जाकर उसके अनुसार नक्शा तैयार किया जावें। खसरा नं. 441/11 नत्थूराम प्रार्थी का नक्शा दुरूस्त होने के बाद उसी अनुक्रम में खसरा नं. 441/2 (भागीरथ) का नक्शा इसके चिपते ही पश्चिम की तरफ से पूर्व की ओर कृषि भूमि भौतिक स्थिति के अनुसार स्केल के अनुसार दर्ज किया खसरा नं. 441/3 का नक्शा दुरूस्त होने के बाद इसके चिपते ही उतर पूर्व में खसरा नं. 441/8 महेन्द्रसिंह का है के पश्चिम हिस्सा को दुरूस्त कर भौतिक स्थिति के अनुसार दर्ज किया जावें। खसरा नम्बर 441 (3) नक्शे को पैमाने के अनुसार दर्ज करने के बाद उसके बाद खसरा नम्बर 441/3 के पूर्व में खसरा नम्बर 441/12 व खसरा नम्बर 441/5 के नक्शा को दुरूस्त करने के बाद इसके पूर्व में स्थित खसरा नम्बर 441/6 व खसरा नम्बर 441/10 को पैमाना के अनुसार पश्चिम की ओर दर्ज करते हुए खसरा नम्बर 446/1 की कृषि भूमि से सही कर पश्चिम की ओर दर्ज किया जावे। ज– यह कि खसरा नम्बर 441/6 व 441/10 को दुरूस्त करने के बाद खसरा नम्बर 446/1 को भी दुरूस्त कर आगे दुसरे खसरे में पूर्व की ओर व नहर बाउंण्डरी में दर्ज कर रखा है, पश्चिम की ओर 1 किला की चौड़ाई के अनुसार खिसका कर उसी अनुरूप वास्तविक भौतिक स्थिति के अनुरूप पैमाना के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज अनुसार ही नक्शा की त्रुटि दूर कर संशोधित नक्शा दर्ज किया जावें।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के नक्शा की तरमीम सही तौर से दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर [illegible] वादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] नक्शा की दुरूस्ती की जानी उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:58:22 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि नक्शा की तरमीम गलत दर्ज है जिसे वादीगण दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी द्वारा हको की घोषणा का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए नक्शा दुरूस्ती किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड वादी द्वारा नक्शा दुरूस्ती बाबत यह वाद पेश किया गया है तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 6423 दिनांक 24.09.2025 द्वारा नक्शा दुरूस्ती हेतु अनुशंषा की गई है। अत वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांकं 6423 दिनांक 24.09.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट को निर्णय का भाग समझा जावे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक .....24/12/25..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:58:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 54 / 2024

अनवान : –

1. जगदीश प्रसाद पुत्र जयलाल निवासी गांव ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र जयलाल निवासी गांव ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर,
3. विजयसिंह पुत्र जयलाल निवासी गांव ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर,
4. प्रदीप पुत्र जयलाल निवासी गांव ढण्ढेला हाल नोहर तहसील नोहर,
5. हंसराज पुत्र सेवाराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. शिशपाल पुत्र सेवाराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
7. बेगराज पुत्र सेवाराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
8. हाकमराम पुत्र सेवाराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
9. नत्थुराम पुत्र भीराजराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
10. भागीरथ पुत्र भीराजराम पेशा खेती निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।।

– वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 54 सन 2024 निर्णय दिनांक 24/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पूनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी वाद वादी मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक 6423 दिनांक 24.09.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट को निर्णय का भाग समझा जावें। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ~~24/12/25~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:58:22 IST
Reason: SelfAttested